Ikapk;rh jkt O;oLFkk rFkk efgyk सशक्तिकरण ¼vkxjk ,oa Xokfy;j tuinksa dk rqYkukRed vè;;u½

n;kyckx f'k{k.k lLFkku ¼MhEM ;fuofl Vh½ n;kyckx]
vkxjk dh
ih-,p- Mh- ¼jktuhfr foKku½ dh mikf/k grq
çLrkfor vuql/kku dh :ijs[kk
¼2018&2019½

'kks/k funsf'kdk%

डॉ अंजू शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग
समाज विज्ञान संकाय

'kks/kkfFkZuh%-

सपना त्यागी

ladk; çeq[k %&

çks- deyth rlqf/k;
समाज विज्ञान संकाय

foHkkxk/;{k%&

çks- iqf.kek tSu
समाजशास्त्र एवं
राजनीति विज्ञान विभाग
समाज विज्ञान संकाय

n;kyckx ,tqds'kuy bULVhV;wV ¼MhEM ;fuofl Vh½ n;kyckx]
vkxjk&282005

iLrkouk&

आज विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातात्रिंक शासन प्रणाली विद्यमान है। यह प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली महिला एवं पुरूष दोनों की उन्नति तथा उत्थान के समय अवसर प्रदान करती है। प्रजातन्त्र की भावना के अनुरूप सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक समानता, स्वतंत्र एवं निर्णयकारी संस्थाओं में भागीदारी हेतु अनेक राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये है। आज विकसित व विकासशील सभी देशों में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति सुधार करने तथा उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास हर स्थान और स्तर पर किये जा रहे है। आज भी सभी क्षेत्रों में महिलाओं के समुचित विकास के अनुकूल विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वतत्रंता आन्दोलन के पश्चात् भारतीय समाज में बदलाव आया और महिला शिक्षा व विकास पर बल दिया। सरकार का मुख्य व बुनियादी लक्ष्य समुचित विकास करने का रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान पचंवर्षीय योजना तक की योजनाओं में महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा उन्हे राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

l)kfUrd vo/kkj.kk

jktuhfrd lgHkkfxrk&

सहभागिता शब्द दो शब्दो से मिलकर बना है। राजनीति व सहभागिता। राजनीति किसी भी समाज की आवश्यकता है। जिनका सरोकार (सक्रियता) मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से होता है। जिसमें दो पक्षों या दो से अधिक पक्षों के बीच संघर्ष या मतभेद तथा उसके समाधान हेतु नियमों कानूनों पर आधरित शासन या सरकार का होना भी (अनिवार्य) आवश्यक है। यह सब गतिविधियाँ राजनीति कहलाती हैं।

सहभागिता अंग्रेजी शब्द participtionका हिन्दी रूपान्तरण है। इसका अर्थ भाग लेने की क्रिया से है। अधिकांश देशो में राजनीतिक सहभागिता का अर्थ समय–समय के साथ परिवर्तन और राज्यो की भूमिका के साथ बदल जाता है। 18 वी सदी में तानाशाही अथवा अल्पतंत्र के विकास के विकल्प स्वरूप लोकतन्त्र के विकास के कारण सहभागिता के महत्त्व को स्वीकार किया गया। यह प्रजातंत्र और आधुनिकरण का प्रमाणित चिन्ह है। परम्परागत समाज में शासन और राजनीति संकीर्ण अभिजनों से संबंधित थी। इसके विपरीत आधुनिक शब्दों में सक्रिय सहभागिता, प्रजातंत्र और प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त से घनिष्ठ रूप से संबंधित है।

➢ नार्मन. एच. पाई. नी और सिड़नी वर्बा ने– राजनीतिक सहभागिता को आम लोगों की वे विधि समत गतिविधियाँ माना है। जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिये जाने वालो निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना हैं।

➢ न्यू हैण्ड ऑफ पोलिटिकल साइस के अनुसार "लोकनीतियों के निर्माण निरूपण और क्रियान्वयन में सक्रिय भाग लेना राजनीतिक सहभागिता है।"

➢ मैलास्की के अनुसार "राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्रीय व्यवस्था में सहमति देने अथवा वापस लेने का एक मात्र साधन हैं जिसके द्वारा शासकों को शासितों के प्रति उत्तरदायी बताया जाता हैं।"

➢ सिडनी गर्वा, ग्लूजमेन ब्रेड़ी एवं नी के अनुसार "राजनीतिक सहभागिता एक यंत्र व्यवस्था के रूप में होती है। जो नागरिकों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता को राजनीति निर्णय निर्माताओं तक पहुँचाती है तथा जिसके द्वारा उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए दबाव डाला जाता है।"

राजनीतिक सहभागिता को संकुचित व व्यापक दो अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है। व्यापक अर्थ में इसमें व्यक्ति की सार्वजनिक जीवन से संबंधित गतिविधियाँ, मतदान, चुनाव में भाग लेना, निर्णयों के प्रति विरोध समर्थन, प्रदर्शन, समूह, संगठन की सदस्यता एवं भागीदारी आदि सम्मिलित होती है। संकुचित अर्थ में यह राजनीतिक व्यवस्था की परिधि में निपादित होने वाला राजनीतिक कर्म होता है, जो सामूहिक नहीं होकर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। जिनका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारिता पर होता है।

Ekfgyk l'kfDrdj.k

महिला सषक्तिकरण का अर्थ महिलाओं की उस क्षमता से है, जिससे उनमें से योग्यता आ जाती हैं कि वे जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सकती हैं। सशक्तिकरण की आवश्यकता सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा लिए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए कि गयी है। रीति रिवाजों, परम्पराओं आदि के नाम पर उन्हें शान्त करा दिया जाता था। इसलिए आज के समय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रकार के कानूनों नियमों तथा नीतियों को षुरू किया गया। जिससे की कामकाजी महिलाऐं सरकार द्वारा दिए जाने वाली सुविधाऐं प्राप्त कर सकें। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन राजीव गाँधी, राष्ट्रीय ऑगन बाड़ी, मनरेगा, आदि योजनाऐं चलाई गयी हैं।

Ekfgyk l'kfDrdj.k dk vFk

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं की उस शक्ति से है, जो उन्हें अपने अधिकारों को समुचित रूप से प्रयोग कर सके समाज में पीछे न रह सकें और पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने निर्णय ले सकें और सर उठा कर समाज में चल सकें। महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है।

ch-ih- pkikMk nlkb के अनुसार "आज की नारी को समझने की जरूरत है। उसे उसके अधिकार दिलाने आत्म निर्भर, शिक्षा का महत्व आदि को पूर्ण रूप से कोशिश करना तथा शारीरिक मानसिक और आर्थिक, हर तरफ से आत्म–निर्भर बनने में उसकी मदद करना।"

73 ok ,o 74ok vf/kfu;e e ipk;rh jkt 0;oLFkk dh i"BHkfe&

भारत विश्व का लोकतात्रिंक देश है तथा विसंगतियों एवं राजनीतिक शक्तियों का निम्न स्तर (ग्राम) एक बिकेन्द्रीकरण ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण है। जो कि गाँधी जी के विचारों पर आधारित है। 'ग्राम स्वराज' का नाम दिया है तथा मूल संविधान के अनुच्छेद 40वें और 73वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संस्थाओं का तात्पर्य ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं से हैं भारत की 77.7 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विशेष महत्व है। लोकतांत्रिक की वास्तविक सफलता तब है। जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागदीरी सुनिश्चत हो। भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय से ही स्थानीय शासन को महत्व को समझा जाने लगा।

भारतीय संसद द्वारा पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए। भारतीय संविधान में 73वां सशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से तथा 74वां अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हो गया है। 73वें व 74 वे संविधान संशोधन ने पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया । जिसके माध्यम से पंचायती राज को एक नयी दिशा दी गयी। इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि जनसभागिता का लाभ कमजोर व पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को मिला। पंचायती राज मंत्रालय 27 मई 2004 को अस्तित्व में आया। इसे ग्रामीण गरीबी उपशमन और समृद्धि के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने का कार्य सौंपा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए संविधान के खंड 9 के क्रियान्वियन की निगरानी करने के लिए किया गया है। जिसमें की आगरा में पंचायतों की संख्या की वर्तमान स्थिति है। ग्राम पंचायत 636 न्यायपंचायत115 पंचायती राज 444 है। पंचायतों में महिलाओं की भागदीरी उनके लिए आरक्षित 33 प्रतिशत की न्यूतम सीमा से अधिक है तथा मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में चार ब्लाक हैं, तीन तहसील हैं, दो नगर

पालिकायें हैं, तीन नगर पंचायत हैं, चार जिला पंचायत हैं, जिसमें कि 660 गाँव हैं । जिनमें से 598 गाँव आवाद हैं तथा 62 बीरान हैं कुल आबादी 20,32,036 जिसमें से महिलाओं की जनसंख्या 941709 है। ग्वालियर जिले के कुल प्रतिनिधि 388 हैं जिसमें से महिला प्रतिनिधि संख्या 194 है ।

lkapk;rh jkt laLFkkvksa esa efgykvksa dh Hkwfedk

पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए एक वरदान के रूप में उभरी है। भारत में पंचायती राज आने से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआहै। पचांयती राज का प्रयत्न सही दिशा में महिलाओं में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने तथा उन्हें नया जीवन दान देने में सफल हुयी है। महिलाओं की एक विशेष स्थिति बन सकें। इसके लिए महिलाओं को ग्रामीण विकास में सहायक बनाने हेतु अनेक प्रयास किए गए। हमारे देश में प्रारम्भिक सामाजिक और सांस्कृतिक पश्ठभूमि रही है ।

प्राचीन संस्कृतियों में उद्घघत से स्पष्ट होता है। पंचायती राज को अवधारणा का विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने और इच्छित जनसहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से हुआ। पचांयती राज सन् 1959 में तब अस्तित्व में आया। जब बलवंत राय मेहता अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए वरदान ही साबित हुई है। पंचायती राज ने आज महिलाओं को राजनीति के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया साथ ही विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में नवीन ज्योति जाग्रत की हैं वर्तमान समय में हमें प्रत्येक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व की कमी महसूस होती है। क्योंकि महिलाऐं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाती चली आ रही है। भूमण्डलीयकरण की इस दौड़ में महिलाऐं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को बढ़ावा दिया गया है। जिसमें की 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था प्राप्त है। लेकिन कुछ राज्यों में बिहार, उत्तराखंण्ड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण 50 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि पचांयती राज व्यवस्था में महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता में बढ़ावा तो मिला ही है। साथ ही आज की महिलाओं में कुछ करने की उम्मीद भी जाग्रत हुयी है। 73वें सविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं की त्रि.स्तरीय ग्रामीण पंचायतों और शहरी निकायों में 1993 से 33 प्रतिशत फीसदी आरक्षण दिया गया है। वर्तमान समय में 345 सीटों में से 45 सीटे महिलाओं के लिए है। कहने का अर्थ है कि राजनीति में महिलाओं के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। पंचायती राज ने महिलाओं को समाज का एक विशेष सदस्य बना दिया है। फिर भी महिलाऐं पूर्ण रूप से सशक्त नहीं

बन पा रही है। उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जागरूकता पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। उनके लिए सरकार द्वारा बनायी गयी। अनेक प्रकार की नीतियाँ,योजनाऐं जिनका ग्रामीण महिलाऐं लाभ नहीं उठा पा रही है। जिसमें महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से आज भी महिलाऐं योजनाओं से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पा रही है।

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। परन्तु अभी भी ग्रामीण महिलाऐं इतनी सशक्त नहीं हुयी हैं। इसके लिए पंचायती राज में अनेक प्रकार की समितियों का निर्माण किया गया । बलबंत राय मेहता समिति यह एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफलता के कारणों की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता समिति का गठन किया। इस समिति ने त्रि–स्तरीय पचांयती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया।

f=& Lrjh; ipk;rh jkt 0;oLFkk

- जिला स्तर पर – जिला पंचायत
- प्रखंड स्तर पर – पचायंत सामिति
- ग्राम स्तर पर – ग्राम पंचायत

जिसमें की ग्रामीण शहरी महिलाओं की स्थिति में सुधार देखा गया इसके साथ ही पचांयत राज व्यवस्था में ग्रामीण महिलाऐं जो कि आरक्षित गरीब, बेसहारा भी उनको बढ़ावा दिया कि उन्हें अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग कार्यों को समझा गया। इसके साथ राजनीति समितियाँ योजनाओं, नीतियाँ के बारे में जानकारी देकर उन्हें राजनीति के प्रति जागरूकता दिखायी गयी हैं।

ipk;rh jkt 0;oLFkk dh ljpuk 73ok lo/kkfud vf/kfu;e d rgr

यह व्यवस्था प्राचीन समय से वर्तमान तक भारत की महत्वपूर्ण संस्था रही है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामों की ही नहीं वरन् शहरों की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। इसलिए 73वां व 74वां संवैधानिक संशोधन लागू किया गया जिसमें ग्रामों व शहरों के लिए भिन्न–भिन्न प्रावधान है। इन संस्थानों ने सभी वर्गों के लिए समय–समय पर अनेक प्रकार के प्रयास होते रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के कारण आज 02 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ लिए गए, परन्तु दोनों ही कार्यक्रमों अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

Ikpk;rh jkt O;oLFkk esa l/kkj grq xfBr lfefr;k

- cyoar jk; egrk lfefr ¼1957½ ¼& बलंवत राय मेहता समिति का गठन 'पंचायती राज व्यवस्था' को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी, समिति की सिफारिशों को अप्रैल 1958 को लागू किया गया। सन् 1957 में योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में "सामुदायिक परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास" सेवाओं का अध्ययन दल के रूप में ये समिति बनायी, जिसे यह दायित्व दिया गया। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की संरचना तथा कार्य प्रणाली की सफलता में बाधक थी। पंचायती राज व्यवस्था को मेहता समिति ने "लोकत्रांतिक विकेन्द्रीयकरण" का नाम दिया तथा समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रि. स्तरीय का सुझाव दिया।

- v'kksd egrk lfefr ¼1977½ अशोक मेहता समिति का गठन दिसम्बर 1777 ई. में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियाँ उत्पन्न हो गयी थी । इन कमियों को ही दूर करने तथा सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था।

- Mk- ih-oh-d- jko lfefr ¼1985½ डॉ. पी.वी. के राव की अध्यक्ष्ता में एक समिति का गठन करके उसे यह कार्य सौंपा गया। कि वह ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करें। इस समिति में राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद्, जिला स्तर पर जिला पंचायत। मण्डल स्तर पर पंचायत तथा गॉव स्तर पर ग्राम सभा के गठन की सिफारिश की। इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की, लेकिन समिति की सिफारिश को अमान्य कर दिया गया।

- Mk- ,y-,e- fl/koh lfefr ¼1986½½& पंचायती राज संस्थओं के कार्यों की समीक्षा करने तथा उसमें सुधार करने में सिफारिशें करने के लिए सिधवी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए गॉवों के पुनर्गठन की सिफारिशें की तथा साथ में यह सुझाव भी दिया कि गॉव पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए।

इन संस्थाओं को उचित स्थान एवं सुदृढ़ रूप प्राप्त हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, तहसील, तालुका तथा जिले सम्मिलित होते हैं।

cyor jk; egrk lfefrvks dk ckn iapk;rh jkt O;oLFkk f=&Lrjh; O;oLFkk

iapk;rh jkt esa f=&Lrjh; O;oLFkk

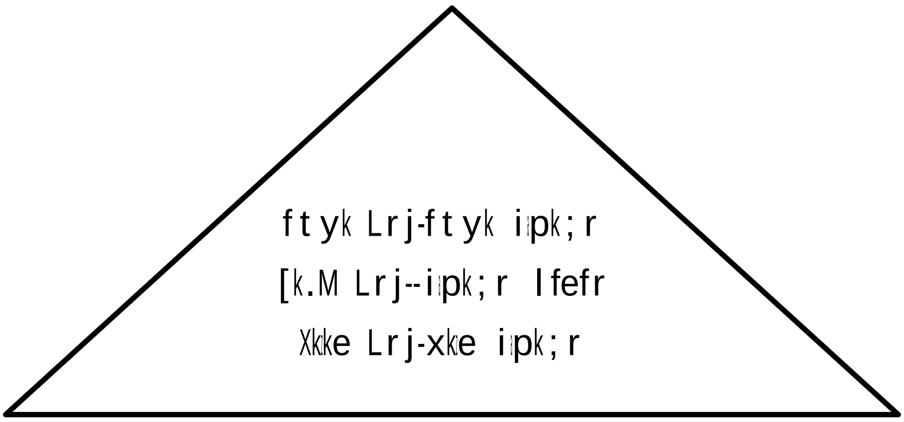

- **ftyk iapk;r%** पंचायती राज व्यवस्था के पदसोपान क्रम में जिला पंचायत शीर्षस्थ संस्था हैं इसका संगठन भी पंचायत समिति के नमूने पर ही किया गया है। इसके सदस्यों का निर्वाचन भी जनता द्वारा प्रत्यष्ठ रूप से किया गया है।

- **iapk;r lfefr%** पंचायती राज व्यवस्था में मध्य के अर्थात् प्रखण्ड स्तर पर पचांयत समिति होती है। पंचायत समिति का संगठनसभी राज्यों में एक समान नहीं है। इसके सदस्यों में सम्मिलित है। विधान सभा के सदस्य।

- **xke iapk;r%** पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तहसील, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है।

73oka o lafo/kku la'kks/ku vf/kfu;e dk izko/kku

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 1991 में सविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी ।

deVh	fjikVZ izdkf'kr o"kZ
वलबंत राय मेहता	1957
अशोक मेहता	1977
पी.वी.के. राव समिति	1985
एल. एम. सिन्धवी समिति	1986

ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी समिति की जाँच करने का अधिकार हैं। अब इन प्रयासों की असफलता के बाद एक ऐसे संवैधानिक संशोधन की आवश्यक थी, जिसके द्वारा पंचायतों का सशक्तिकरण हो सके। इन संस्थाओं को सशक्त बनाने के विचार की परिणति संविधान के 73 वें व 74 वें संवैधानिक संशोधन के रूप में हुई। 73वें सवैधानिक संशोधन में सविधान के भाग 9 तथा 9(क) को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 243(क) से लेकर 243(क) तक में पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेखित किया गया। 73वें सवैधानिक संशोधन द्वारा इनसंस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तथा राज्यों में पचायतों से संबधित निर्वाचन को आयोग का प्रावधान भी गया। इस संशोधन के पश्चात् कहा जा सकता है कि सशक्त पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो चुकी है। इस संवैधानिक संशोधन में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलायें व अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधन का उल्लेखित किया। 73वां संवैधानिक अधिनियम 24.04.1993 को तथा 74 वां सवैधानिक अधिनियम 1.06.1993 को लागू हुआ था। जिसके अन्तर्गत 73 वें अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों तथा 74 वें अधिनियम में नगरीय क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन के बारे में बताया गया है।

73 oka lafo/kkfud vf/kfu;e ls lEcfU/kr izeq[k uhfr;ksa dk v/;;u

73वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात् नया पंचायती राज अधिनियम प्रयुक्त प्रजातन्त्र को जनता तक पहुँचाने का एक उपकरण है। गांधी जी के स्वराज के स्वप्न को साकार करने की पहल है। पंचायती राज स्थानीय जनता का, जनता के लिये, जनता के द्वारा शासन है।

73oka lafo/kku la'kks/ku iapk;rh jkt ls lEcfU/kr gqvk ftlesa iapk;rksa ls lacaf/kr 0;oLFkk dks crk;k gS

- संविधान में "ग्राम सभा" को पंचायती राज की आधारभूत इकाई के रूप में स्थान मिला है।

● पंचायतों की त्रि–स्तरीय व्यवस्था की गयी है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर (ब्लाक स्तर) क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी है। 73वें सविधान संशोधन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उसके प्रतिशत के अनुपात से सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 भाग प्रयत्क स्तर पर आरक्षित किया गया है तथा प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के कुल पदों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

● अधिनियम के द्वारा पंचायतों से संबंधित सभी चुनावों के संचालन के लिए राज्य चुनाव आयोग को उत्तरदायी बनाया गया है

lkpk;r jkt la'kks/ku vf/kfu;e] 1992 ds vrxZr iapk;r ls lacaf/kr fuEu iko/kkuks dk lekos'k fd;k x;kA

➢ पंचायत से सम्बन्धित प्रत्येक पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की नीति को अपनाना।

➢ पंचायत राज के सभी संस्थानों में अनुसूचित जातियों–अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान।

➢ पंचायत राज संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित करना।

➢ चुनाव आयोग के निरीक्षण एवं नियंत्रण में चुनाव करना।

➢ ग्राम सम्बन्धी सामाजिक न्याय तथा आर्थिक योजनाएं बनाने का कार्य पंचायत राज संस्थाओं को प्रदान करना।

➢ पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करना तथा यदि किसी कारण पंचायत को भंग किया तो 6 माह की अवधि के अन्तर में चुनाव कराना।

➢ पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाए।

➢ पंचायतों को अधिकार शक्तियाँ प्रदान करना।

ग्राम–स्तर पर ग्राम सभा तथा पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना सम्पूर्ण देश में करना।

lkfgR; dh leh{kk

किसी भी शोधकर्ता को अपनी शोध समस्या के चयन प्राकल्पना निर्माण तथा अध्ययन को तैयार करने के लिए कई प्रकार के आधारों की आवश्यकता होती है। जो कि पुस्तकें अनेक ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, अभिलेखो तथा पहले से किए गए शोध परिणामों से प्राप्त होता है। इसके साथ– साथ शोध कर्त्ता को संदर्भ साहित्य के सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। अतः प्रस्तुत अध्ययन से संबधित साहित्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। जिनको शोधार्थिनी ने तीन वर्गो में विभाजित किया है।

- महिला सशक्तिकरण में राजनैतिक भागीदारी ।
- पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाऐं ।
- महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता।

➢ Jh fuokl ¼1976½ ने अपने ने लेख भारतीय ^^efgykvks dh cnyrh gqbZ fLFkfr lEcU/kh ,d lo{k.k^^ मे बताया है । कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिलाओं की भूमिका व उनकी स्थिति दोनो में तीव्र उन्नति हुई इससे महिलाओं व पुरूषों के बीच काफी समानता आयी है। जो कि पहले नही थी। वास्तव में शहरी महिलाओं ने पुरूषों के साथ बराबरी करने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में बहुत साहसिक कदम उठाये है। लेकिन उभी ग्रामीण महिला इस क्षेत्र में पीछे है।

➢ nslkbZ ¼1982½ ने अपनी पुस्तक ^^Hkkjrh; lekt esa ukjh^^ मे बताया है। कि प्राचीन काल से वर्तमान तक भातरीय समाज में नारी की स्थिति व भूमिका का वर्णन किया है। इन्होंने अग्रेंजी काल तक भारतीय समाज में नारी की स्थिति को बताया है। साथ ही भारत के राष्ट्रीय संघर्ष का भारतीय स्त्री पर प्रभाव और उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों और उनके सुधार के लिए किए गए कार्यो का वर्णन किया है। पुस्तक में भारतीय संविधान में महिलाओं को दिए गए राजनैतिक अधिकार, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाज में महिलाओं के विकास के लिए बनाये गए संगठन, उनकी कार्य प्रणाली और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाए गए कानूनों का. वर्णन किया गया है।

➢ Jh 'kj.k ¼1990½ us viuh iqLrd ^^iapk;rh jkt o ykdra=^^मे बताया है। कि पंचायती राज में पचांयती राज को भी एक साध्य व साधन माना है। लोकतंत्र के सबसे निम्न स्तर तक विस्तार के रूप में

पचांयती राज साध्य है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए उसके कार्यक्रमों की बात कही है। जिसमें 1957 में गठित वलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति आदि में महिलाओं का योगदान बताया गया है।

➢ dkf'kd ¼1993½ ने अपनी पुस्तक ^^efgyk ,oa iapk;rh jkt^^ मे बताया है। कि महिला एवं पंचायती राज पर अध्ययन किया है। 73 वे सविधान संशोधन के पश्चात् 1/3 स्थानों के महिलाओं हेतु आरक्षण के संविधिक प्रावधान के पश्चात् यह विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय के लिए महत्तवपूर्ण आगत है। स्थानीय स्वशासन हेतु महिलाओं की शिक्षा एव प्रशिक्षण की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है।

➢ tks'kh ¼1997½ ने अपने लेख ^^iapk;rksa dk lo/kkfudj.k^^ मे बताया है। कि पंचायत राज से संबधित विभिन्न सर्वोधिक प्रावधानों को विश्लेषित किया गया है। पंचायती राज के कानूनी एवं संवैधानिक पक्ष पंचायत राज एवं आरक्षण नीति, राज्यों की शक्ति, महिला भागीदारी राज्य वित्त आयोग आदि से संबधित विषयों पर समस्याओं को बताया गया है। पंचायत राज सस्थाओं के सवैधानिकरण द्वारा इसको पुन स्थापित किया गया और इसे राजनीतिक व्यवस्था में वैधता प्राप्त हुई है। किन्तु इन संस्थाओं में संविधान की वशांनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के हस्तान्तरण में तेजी नही लाई जा सकती है।

➢ etenkj **"(Seminar 457 Sept 1997)** us viu y[k "Listorical soundings" कुमुद शर्मा Power Vs Representation : Feminist Dilemmas Ambivalnet state and the debate Reservation for woman in India. (CWDS 1998) and "Symbosium on political empowerment of women-Reservation for woman in political bodies (WSDS)" इन तीनों लेखों में स्वतन्त्रता प्राप्ति से आज तक महिला आरक्षण पर हुए वाद–विवाद तथा महिला आरक्षण की दिशा मे सरकार द्वारा उठाए गए कदम तथा अन्य प्रकार की नीतियों की चर्चा की गई है।

➢ Mk f=ikBh ,oa Mk- flag ¼2000½ मे अपनी पुस्तक ^^iapk;rksa dk uo rRo esa detksj oxksa dh tkx:drk^^ मे बताया है। कि उ. प्रदेश का एक अध्ययन के निकर्षत लिखते है कि शोध व सर्वेक्षण इस बात को प्रमाणित करते है। कि चुनकर आए कमजोर वर्गो की भागीदारी पंचायतों में प्रभावकारी नही रही है। पचांयतों के नेतृत्व में उच्च जातियों और प्रभावशाली वर्चस्व टूट रहा है। और नये–नये समीकरण उभर रहे है। महिला प्रतिनिधि जो पचांयतों के नेतृत्व करने आई है। उनमें गरीबी तथा रोजगारों की बड़ी समस्या जिसके कारण वे पचांयत कार्यो में अपना पूरा सहयोग नही दे पा रही है।

➢ Mk-dy J"B ¼2001½ ने अपनी पुस्तक ^^ipk;rh jkt vkj efgyk,^^ मे बताया है। कि पंचायती राज व्यवस्था मे महिला आरक्षण के परिणामस्वरुप अब महिलाओं की मनस्थिति बदल रही है। वे अब अपना पक्ष पूरी निर्भीकता तथा निष्पक्षता से बैठकों में रखने लगी है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की य भागीदारी से उन्हे जो नया परिवेश मिल रहा है। वह उनके लिये प्रगति और विकास के द्वार तो खोल ही रहा है। पुरूष तथा स्त्री के बीच समाज में जो सामाजिक विषमता है। उसमें भी कमी हो रही है।

➢ fiYy ¼2001½ u viuh iLrd ^^ipk;rh jkt }kjk vf/kdkj lEiUurk^^ मे बताया है। कि सविधान के 73 वें सवैधानिक संशोधन से लगभग 10 लाख महिलाये त्रि–स्तरीय ढाँचे में सदस्य और अध्यक्ष पदो पर कार्यरत है। निश्चत ही इससे हाल तक ठहरे ग्रामीण समाज में बदलाव आया है। महिलाओं की अध्यक्षता वाली कई पंचायतों में महिलओं की भागीदारी और नेतृत्व का न केवल जमीनी प्रशासन पर असर पड़ा है। घरों से बाहर शक्ति और जिम्मेदारियाँ सम्भाल पाने की समर्थकता के बारे में कई भ्रातियां भी दूर हो गयी है।

➢ iokj ¼viy 2002½ ने अपने लेख कुरूक्षेत्र ^^Hkkjrh; lekt e ukjh^^ मे बताया है । कि वर्तमान समाज में नारी की स्थिति की पूर्ण रूप से व्याख्या है। इसके साथ–साथ बदलते हुए समाज के रूप में महिलाओं की समस्याऐं व शोषण के विरूद्ध में महिला संगठनों की भूमिका तथा कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। तथा महिलाओं के बदलाव और सत्ता शक्ति सरंचना में बदलाव की स्थिति का आकंलन किया गया हैं

➢ Mk ikfVy ¼Hkkjrh; lekt 2002½ ने अपने लेख ^^rrh; lLdj.k fgUnh xUFk vdkneh^^ मे बताया है। कि महिलाओं के संदर्भ में बनाये गये कानूनों एवं अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन करके, उनके लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करके, रूढ़िवादिता पारम्परिक सोच में बदलाव लाया जाय जिससे कि हम महिलाओं को रोजगारन्मुख एवं आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते है।

➢ Mk-'kek ¼2004½ ने अपनी पुस्तक ^^efgyk vkj{k.k dh jktuhfr^^ मे बताया है। कि महिलाओं को 33 आरक्षण देने से उनके सारे अधिकार सुरक्षित नही मिल सकते महिलाओं की इस बढ़ती राजनैतिक सहभागिता के कारण मिलने वाला राजनैतिक प्रतिशत एवं अनुभव अनके सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके कारण महिलाओं में पारिवारिक स्तर पर भी निर्णयकारिता को प्रभावित करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं की बढ़ती राजनैतिक सहभागिता समाज के दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन लाने को मजबूत आधार प्रदान करती है। पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण ने स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति निश्चत करके ग्रामीण और शहरी स्तरों पर पुरू को यह स्थिति स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है।

➢ tk'kh ¼2005½ ने अपनी पुस्तक ^^efgyk l'kfDrdj.k% pqukSfr;k ,oa uhfr" में बताया है । कि महिलाऐ समाज का स्तम्भ है। जिसमें महिलाओं को सक्ष्म सहयोगी और अन्य प्रकार की बड़ी–बड़ी कुशलता व चुनौतियों का सामना करती है। एक बड़े पैमाने पर महिलाऐ पुरूषों से आगे है। जिसमें की उन्हे पूर्ण सहयोग देना चाहिए। तथा महिलाओं को भी पुरूषों के समान समाज में उचित सम्मान की स्थिति होनी चाहिए। जिससे की महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन रचनात्मक व सकारात्मक परिवर्तन के लिए अग्रदूत बताया है।

➢ ik-dkf'kd ¼2008½ ने अपनी पुस्तक ^^ukjh vf/kdkjk dk fy, fd, x;s i;kl^^ मे बताया है कि भारत सकार की महिला सशक्तिकरण नीति (2000) एक उल्लेखनीय कदम है। सरकार ने महिलाओं की समस्याओं के उचित निराकरण के लिये एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की है। जिसमें नीति निर्धोरण एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता, कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था में स्थिति का आकंलन शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति बालिका प्रस्थिति, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मीडिया की भूमिका को रेखाचित्र किया गया है। इस दिशा में महिला विकास विभाग की महत्तवपूर्ण भूमिका उजागर हुई है।

➢ Mk- ij.key ¼2009½ us viuh iqLrd ^^uohu iapk;rh jkt ,oa ,oa efgyk usr`Ro^^ मे बताया है। कि पंचायती राज के अर्थ, स्वरूप, विकास यात्रा एवं वर्तमान स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। पंचायती राज की नवीन स्वरूप को क्रियान्वयन पक्ष को सम्मिलित करते हुए उसमें महिला नेतृत्व की भूमिका को व्याख्यति किया गया है। इसके साथ राजनैतिक अभिरूचि एवं सजगता का विश्लेषण किया गया है। महिला नेतृत्व द्वारा दिए गए पंचायती राज व्यवस्था, विशेषकर ग्राम पचायतों मे सुधार संबंधी प्रमुख सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

➢ dkV ¼2011½ if=dk ने अपने लेख ^^iapk;rh jkt esa efgyk,a vkn'kZ mrj jgh gSA thr ij^^ में बताया है। कि वर्ष 1955 में पंचायतों की व्यवस्था की गई थी जों कई कारणों से असफल सिद्ध हुई। इसे कई सालों बाद बहुत बड़े पैमाने वर्ष 1993 में 73 वें एवं 74 वे संशोधन के तहत प्रक्रिया में लाया गया। महिलाओं को अब तक 33: आरक्षण देकर उनके लिए मार्ग बनाए गए। एक पुरूष प्रधान समाज में इतना अच्छा कदम और फिर इतने अच्छे परिणाम समाज के माथे पर उन्नति का टीका लगा चुका है। पंचायत जैसी संस्थाओं में महिलाऐ पुरूष की तुलना में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकी है। महिलाओं द्वारा किये गये ये प्रयास निश्चय ही देश के ग्रामीण राजनैतिक भविष्य की इमारते बदलने के लिए पर्याप्त है।

➢ Mk- 'kDrkor ¼2011½ ने अपनी पुस्तक ^^efgykvksa dh jktuhfrd lgHkkfxrk ,oa iapk;rh jkt O;oLFkk ,oa vo/kkj.kkRed^^ विवेचन में बताया है। कि 73 वे सवैंधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 33:आरक्षण प्राप्त हुआ तथा बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्थानीय राजनीति में प्रवेश किया महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को बताते हुए पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को बताता है।

➢ ifrHkk ¼2011½ ने अपने लेख पत्रिका ^^efgyk l'kfDrdj.k esa efgykvksa dk lekt esa veY; LFkku^^ मे बताया हैं कि भारत में कानून व्यवस्था सहित महिलाओं का पूर्ण विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे है। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की अहम भूमिका रही है। विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप में जागरूक बनाकर उन्हे समाज में उचित स्थान दिलाने की कोशिश की जा रही है। तथा एक अच्छे समाज का निर्माण अच्छी शिक्षा से होता है। जिसमें उनके शिक्षा का स्तर बढ़े व समाज में उन्हें सम्मान मिल सके।

➢ iarki flag ,oa xxl ¼2012½ ने अपने लेख ^^efgyk l'kfDrdj.k fofHkUu vk;ke^^ मे बताया है। कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर प्रकाश डाला। महिला सशक्तिकरण को वर्तमान में प्रांसगिकता को बताते हुये आज के युग में महिला किस प्रकार सशक्त हो रही है। यह बताया है। साथ ही वह किस प्रकार महिला अस्तित्व की पहचान कर रही है।

➢ C;kl ¼2012½ ने अपने लेख ^^iapk;rh jkt esa efgyk,a^^ मे बताया है। कि लोकत्रातिक व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था एक महत्तवपूर्ण इकाई है। जो राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास में महत्तवपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। क्योंकि महिलाऐं आधे समाज का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। 73 वें सवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया। महिलाऐं सशक्त होकर राष्ट्र एवं समाज के विकास में उनकी महत्तवपूर्ण समान एवं सक्रिय भूमिका अपेक्षित है।

➢ Mk-JhokLro ¼2012½ ने अपने लेख ^^efgykvksa dh jktuhfrd ,d lxBu dh :i esa^^ बताया है। कि आज भारत में कार्यशील महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ज्यादा से ज्यादा महिलाऐं घरों से निकलकर रोजगार के क्षेत्र में कदम रख रही है। लेकिन वास्वतिकता यह है कि उच्च या मध्ययम स्तर पर कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत मामूली है। जबकि निम्न तथा असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है। सशक्तिकरण से श्रमिक महिलाएं दूर है।

➢ eknh ¼Mk½ d:-,e- ¼t;ykbl 2013½ ने अपनी पुस्तक ^^jktuhfrd lgHkkfxrk e= efgykvks dk ;kxnku^^ में बताया है। कि किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक विकास में महिलाओं का महत्तवपूर्ण योगदान होता है। महिलाएं समाज की अभिन्न अंग है। अतः महिलाओं का विकास करके ही सार्वभौमिक विकास की कल्पना को साकार करना सम्भव है। प. जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को स्पष्ट किया है। ^^;fn vkidks fodkl djuk g S rks efgykvks dk mRFkku djuk gksxk] efgykvks dk fodkl gksus ij lekt dk fodkl Lor% gks tk;sxkA^^ वर्तमान युग में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं और कौशल का विकास करने हेतु विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। जिसके कारण महिलाओं के विकास में उत्तरोतर सुधार दर्ज किये जा रहे है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता बढ़ रही है।

➢ ;kno ¼2013½ ने अपने लेख ^^efgykvksa dks vkfFkd nf"Vdks.k ls lcy cukus ds fy, fd;s x;s iz;kl^^ में बताया है। कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है। महिलाएं आज समाज में विभिन्न क्षेत्रों में पंचम लहरा रही है। स्वं सहायता समूहों का गठन कर शहर से लेकर गांव तक अपनी साख कायम करने में जुटी हुई है। इसके माध्यम से महिलाएं व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे आ रही है। धीरे–धीरे महिलाऐं आगे की ओर बढने का प्रयास कर रही है ।

➢ egkoj ¼2013½ us viuh iqLrd ^^Hkkjr es efgyk l'kfDrdj.k fofo/k vk;ke o pqukSfr;k^^ मे बताया है। कि महिला सशक्तिकरण एवं महिला विकास से सबंधित सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के संवर्ग में अध्ययन किया है। साथ ही भारत में महिलाओं के अधिकार एवं संबधित कानूनों का वर्णन करते हुये महिला सशक्तिकरण का पूर्ण विवेचन किया है।

➢ Mk- pk/kjh ¼2018 tqu½ ने अपने लेख ^^ifr;kfxrk ni.k efgyk l'kfDrdj.k fn'kk vkj **दशा**" मे बताया है कि आज भी नारी की दशा उतनी अच्छी नहीं है। जितनी दिखाई देती है। क्योंकि महिला का पांव आज भी चौखट के अन्दर है। शिक्षा ने उसके क्ष्तिज को विस्तार किया है। पर घर परिवार में उसके लिये आज भी रेखा बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज महिला को रसोई के लिए व घर की देख रेख के लिए बताया है। नारी जाति स्नेह एवं सौजम्य की देवी है। ईश्वर के बाद माता–पिता या जननी का स्थान निर्धारित होता है। साथ ही उन्होंने महिलाओं के भारतीय इतिहास की बात कही है। जिसमें जीवन का मूल तत्व देवी मातशक्ति,

ग्रह लक्ष्मी, मैत्रेयी आदि कहा गया है। साथ ही नारी की स्थिति तथा उसकी समस्याओं को मूल रूप से अंकित किया जिसमें उसके साथ अत्याचार उत्पीड़न करके उसे प्रेरित किया जाता है।

'kk/k vUrjky

- अब तक किए गए अध्ययन में महिला सशक्तिकरण में राजनीति सहभागिता का अध्ययन किया गया है। तथा उसके विकास कार्यक्रमों के अध्ययनो का अभाव है। व उनके लिए बनाय गयी नीतियाँ योजनाओं जो कि प्रभावी कियान्वयन में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका के प्रभावों के अध्ययनों का अभाव हैं।

- अब तक किए गए शोध अध्ययनों में 2011 पंचायती राज व्यवस्था तथा महिलाओं के विकास के लिए 73वें व 74में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बताया गया है। जिसमें पुरुषों तथा महिलाओं के आरक्षण का अध्ययन किया गया है। जिसमें कि बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के राज्यों पर अध्ययन किया गया है। लेकिन उ.प्र. के आगरा जनपद एवं मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले की महिलाओ की राजनीतिक सहभागिता के सशक्तिकरण तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ है।

- भारत में पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व के संदर्भ में अनेक अनुसंधान हुए है। फिर भी समय पर सम्बन्धित सामग्री समय परिवर्तन के साथ अपर्याप्त रहती है। नीति–निधारिकों, शासकों, सामाजिक एवं गैर सामाजिक संगठनों आदि के लिए प्रस्तावित अध्ययन अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर सकेगा तथा प्रस्तावित कुछ अध्ययन अपर्याप्त है।

- अब तक यह शोध अध्ययन किये गए हैं। कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता तथा नीतियों, योजनाओं व 73वें एवं 74वें प्रावधानों का अध्ययन करते हुए महिलाओं को भिन्न–भिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परन्तु इनमे ंऐसे अध्ययनों का अभाव है। जो कि अभी भी गहन रूप से यह बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रूप से राजनीति सहभागिता तथा पंचायती राज में भिन्न–भिन्न समस्यओं का सामना करना पड़ रहा है।

leL;k dFku

विभिन्न सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक रुकावटों के कारण महिलाओं को अपनी शक्ति के वाबजूद समाज में बहुत छोटा दर्जा प्राप्त है। महिलाओं द्वारा अनौपचारिका राजनैतिक क्रियाओं में तीव्र वृद्धि के वावजूद राजनैतिक संरचना में इनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है। महिलाऐं कृषि कार्य व गृह कार्य से समय के अभाव के कारण वे पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति

दोयम दर्जे की है। समाज में पर्दा प्रथा, पुराने रीति–रिवाज तथा रूढ़िवादिता आज भी विधमान हैं जिसके कारण महिलाएं विकास प्रतिक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही है। कई गांवों में जातिवाद आज भी विधमान है। कुछ गांवों में जहां महिला सरपंच अनुसूचित जाति की है। वहाँ अन्य महिला प्रतिनिधि जो सामान्य तथा पिछड़े वर्ग की सरपंच महिला हैं। पंचायत की बैठकों में नही ंजाती, क्योंकि उनका मानना है कि महिला सरपंच निम्न जाति की महिलाओं के साथ बैठने में उनका अपमान होगा।

v/; ;u dk mnns'; %&

- पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
- उ. प्रदेश एवं एम0पी0 में पंचायती राज प्रणाली के विकास व महिला विकास के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करना।
- पंचायती राज व्यवस्था द्वारा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना।
- महिला की राजनीतिक भागीदारिता व पंचायती राज व्यवस्था मे उनके योगदान में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

ifjdYiuk,¡ %&

- पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की भूमिका महत्तपूर्ण है।
- भारतीय शासन व्यवस्था द्वारा महिलाओं के विकास पर अनेक प्रयास किये जा रहे है।
- पंचायती राज व्यवस्था मे आरक्षण व्यवस्था द्वारा महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया है।
- वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता निम्न दृष्टिगत होती है तथा उनके सशक्तिकरण को प्रभावित करती है ।
- पंचायती राज प्रणाली में महिला की भागीदारी की प्रमुख समस्या उनका शिक्षित न हो इसके साथ पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता का होना।

v/;;u dk egRo

पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिलाओं की राजनीति में सहभागिता से संबंधित होने के कारण महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित होगा। महिलाओं की इस बढ़ती राजनैतिक सहभागिता के कारण मिलने वाला राजनैतिक प्रतिशत व अनुभव तथा उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके कारण महिलाओं में पारिवारिक स्तर पर भी निर्णयकरिता को प्रभावित करने का आत्म–विश्वास बढ़ेगा। नीति–निर्माण व शक्ति साझेदारी में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन किया जायेगा। तथा महिला आरक्षण द्वारा महिला राजनीति सहभागिता प्रभावित हुई का विश्लेषण किया गया। जो कि निर्माताओं एवं क्रियान्वयन कर्ताओं के लिए भी लाभ सिद्ध होगा।

सविधान के 73 वें संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायत में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। 6वीं व 7वीं हीं पंचवर्षीय योजना में महिला कल्याण विभाग का गठन किया गया एवं राष्ट्रीय महिला विकास पंचपर्षीय येाजना शुरू की गई है। जिसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये गये हैं।

'kks/k i)fr %&

➢ 'kks/k izjpuk %&

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक शोध प्ररचनाओं का प्रयोग किया ।

➢ v/;;u {ks= %&

प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र उ0प्र0 राज्य के आगरा जनपद तथा मध्यप्रदेश राज्य के ग्वालियर जनपद में किया जायेगा ।

➢ v/;;u dk lexz%&

आगरा तथा ग्वालियर जनपद के समस्त महिला सरपंच वाले गाँव समग्र का निर्माण करेंगे।

➢ v/;;u dh bdkbZ %&

प्रस्तावित अध्ययन की इकाई महिला प्रधान/प्रतिनिधि होगी ।

➢ rF; ladyu ds L=ksr %&

प्रस्तुत अध्ययन के लिये प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग किया जायेगा।

➢ ikFkfed L=kr %&

प्राथमिक स्त्रोत के अन्तर्गत तथ्यों का एकत्रीकरण हेतु साक्षात्कार अनुसूचि तथा अवलोकन का प्रयोग किया जायेगा।

➢ f}rh;d L=kr %&

द्वितीयक स्त्रोत के रूप में पुस्तकों इन्टरनेट प्रकाशित व अप्रकाशित शोध ग्रन्थो शोध पत्रों तथा पत्र पत्रिकाओं में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग अध्ययन हेतु किया गया है ।

निर्देशन विधिः

सर्वप्रथम जिला पंचायत कार्यालय आगरा तथा ग्वालियर जिले से सम्पूर्ण ब्लाकों की सूची प्राप्त की गयी इनमें से हमने पचांयत वाले गाँवो को चुना प्रत्येक ब्लॉक ग्रामीण महिला प्रधान/प्रतिनिधि का 15 प्रतिशत देव निदर्शन विधि द्वारा चयन किया जायेगा ।

क्र	ब्लॉक	न्याय पंचायत	ग्राम–पंयायत	पंचायत घर	कुल प्रतिनिधि संख्या	महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत
1	अछनेरा	7	49	25	328	108	16
2	अकोला	6	34	20	351	100	15
3	बाह	6	46	21	384	81	12
4	बरौली अहीर	10	56	51	278	174	26
5	बिचपुरी	7	27	36	387	178	26
6	एत्मादपुर	8	38	25	250	181	27
7	फतेहाबाद	10	64	55	320	178	26
8	फतेहपुर सीकरी	7	52	44	320	112	16
9	जगनेर	5	28	11	229	181	27

10	जैतुर कलान	8	41	16	327	112	16
11	खंदौली	8	38	32	368	102	15
12	खेरागढ़	7	35	33	368	177	26
13	पिनाहट	6	34	32	310	115	17
14	सैया	9	37	13	361	203	30
15	समशाबाद	8	55	40	229	334	50
कुल		115	636	444	4810	2336	345

bldk p;u nso funs'kku ds ek/;e ls çfrfu/kh/ç/kku efgykvksa }kjk 15 çfr'kr ¼29½ fd;k tk;sxk A

Ø	ब्लॉक	vkcknh xzke	xzke&iapk;r	ftyk iapk;r	dqy çfrfuf/k	efgyk çfrfuf/k	çfr'kr
1	डबरा	150	79	01	95	47	7
2	बरई	130	60	1	78	39	6
3	मुरार	158	78	1	105	53	8
4	भितरवार	160	81	1	110	55	8
कुल		598	298	04	388	194	29

iLrkfor v/;;u

प्रथम अध्याय

- प्रस्तावना
- सैद्वान्तिक अवधारणा
- समस्या कथन
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य पुनर्वालोकन
- अध्ययन के उदेष्य
- परिकल्पना
- शोध विधि

f}rh; v/;k;

- पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि।

r`rh; v/;k;

- उ0प्र0 राज्य के आगरा तथा मध्यप्रदेश राज्य के ग्वालियर जनपद में पंचायती राज प्रणाली के विकास व महिला विकास के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों।

prFk v/;k;

- पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका।

ipe v/;k;

- पंचायती राज व्यवस्था द्वारा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण।

षष्ठ्म अध्याय

- महिला राजनीतिक भागीदारिता व पंचायती राज व्यवस्था के योगदान में आने वाली चुनौतियों।

lIre v/;k;

- निष्कर्ष एवं सुझाव

lUnHkZ lwph&

- भार्गव, वी.एस. (1979) पंचायत राज व्यवस्था एवं राजतीति आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई–दिल्ली ।
- सिंह, आर.के. (1996) ग्रामीण राजनीतिक अभिजन, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली ।
- गौड के.के. (1996) भारत में ग्रामीण का उदीयमान स्वरूप, मानक पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
- राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण (2001) भारत में महिलाओं की स्थिति, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली ।
- लट्टा ललित, (2001) महिला विकास योजनायें और उनका क्रियान्वनः कुरूक्षेत्र नबम्बर । जयपुर
- त्रिपाठी, (मार्च 2002) वर्तमान पंचायती राज, वर्ष–3, अंक संख्या–6, पृष्ठ–5, योजना देहरादून ।
- माहेश्वरी (दिसम्बर–2007) सशक्त नारी, सशक्त समाज, विद्या मेघ, मेरठ माहेश्वरी ।
- कुमार (2009) भारत मेंराजनीतिक नेतृत्व के आयाम, भारती शोध पत्रिक, नई–दिल्ली ।
- राधाकृष्णन (2009) पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका, समस्या एवं समाधान, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, वर्ष–3, संख्या–7, पृष्ठ–112.
- स्वामी (डॉ) व किशोर (2008) महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे आर.बी.एस ए पब्लिशर्स, जयपुर ।
- अमर्त्य(2011) भारत विकास की दिशा, राजपाल एण्ड सन्स पब्लिकेशन दिल्ली ।
- मिश्रा (जनवरी 2011) महिलाओं का नया उद्भव, राष्ट्रीय शोधो संगोष्ठी, मध्यप्रदेश ।
- आर.आर. व मुकाम सिंह (अगस्त 2011) 21वी सदी की महिलाओं की दिशा व दशा, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, मध्यप्रदेश ।
- प्रतिमा (जून 2012) समाज में महिलाओं का स्थान, प्रतियोगिता दर्पण ।
- श्रीवास्तव (डॉ) (2012) कामकाजी महिलाएँ की वास्तविक स्थिति हरि प्रकाशन, दिल्ली ।
- किशोर (अगस्त 2012) भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन प्रतियोगिता दर्पण, पृष्ठ–146.
- Sharma (2012) Human right*s & Womens Law, Arjun Publication House] Delhi] Page No- 26 & 45
- कटारिया (डॉ) 2013 भारत में महिला सशक्तिकरण प्रयास एवं वाधाएँ, मलिक एण्ड कम्पनी (जयपुर एवं दिल्ली)

- वघेरा (डॉ) 2013 भारत में महिलाओं के अधिकार एवं कानून व्यवस्था, पैराडाइज पब्लिशर्स, जयपुर (भारत)
- मोदी (डॉ) (जुलाई 2013) ग्रामीण महिलाओं के विकास में एवं सहायता समूहों का योगदानः कुरूक्षेत्र–पृष्ठ संख्या–168–170.
- लेखक मिश्रा (2013) महिलायें और विकास दशा दिशा एवं संभावनायें, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
- पाठक (2013) भारत में नारी राजनीतिक परिवर्त, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल ।
- शेखर (जनवरी 2014) पंचायतीराज सस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी कुरक्षेत्र, वर्ष–60 अंक (3) पृष्ठ 104–108
- Rawat (July 2017) Panchayati Raj] Acqureet carry point] Page No- 113 & 115.

इन्टरनेट वेबसाइट

- https://www.google.co.in/search?ei=IJ-kW4HMLoflvAT64Z7ADQ&q=agra+district+block+name+with+total+population+in+2016&oq=agra+district+block+name+with+total+population+in+20&gs_l=psy-ab.1.2.33i21k1j33i160k1l2.20603.26205.0.29807.6.6.0.0.0.0.555.1816.0j3j1j0j1j1.6.0....0...1c
- http://www.vidyagyaan.com/general-knowledge/india/panchayati-raj-system-73rd-constitutional-amendment/
- http://www.brandbharat.com/english/up/Blocks%20of%20Agra%20district%20Uttar%20Prades
- https://en.wikipedia.org/wiki/Nyaya_panchayath
- http://sec.up.nic.in/site/.htm
- https://www.google.co.in/search?q=SEC.up.nic.in+FOR+REPERENST+TOTAL+POPULION+IN+AGRA+BLOCK&oq=SEC.up.nic.in+FOR+REPERENST+TOTAL+POPULION+IN+AGRA+BLOCK+&aqs=chrome..6957.48089j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- https://agra.nic.in/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Nyaya_panchayat
- http://sec.up.nic.in/site/PRIVOterSearch2015.aspxic.in/
- http://panchayatiraj.up.nic.in/Acts%20And%20Rules%20Pdfs/Panchayat%20Raj%20Act_1947_ch6.57-   70.pdf
- https://www.google.co.in/search?q=seventeenth+legislative+assembly&oq=seventeenth.legistatiev&aqs=chrome.1.69i57j0.41807j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8